



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
 अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, अटल नगर - 492002
 (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-780/2360

नया रायपुर, दिनांक 06/10/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन
 नया रायपुर, अटल नगर

विषय :-

Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Diversion of Forest land for widening of Existing Road From Bakaruma - Lailunga Road area 3.843 ha. - regarding.

— पंजीयन क्रमांक — FP/CG/Road/36751/2018

- संदर्भ:- 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर का पत्र क्र./FC-I/ROCH-14/2022/1279 दिनांक 27.02.2023
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक / तक / 1524 दिनांक 02.06.2023 एवं पत्र क्रमांक 2708 दिनांक 03.10.2023

-0-

विषयांतर्गत भारत सरकार पर्यावरण, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नया रायपुर के संदर्भित पत्र - 1 द्वारा धरमजयगढ़ वनमण्डल अन्तर्गत लैलुंगा से बाकारुमा मार्ग के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण का कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत कुल क्षेत्र 3.843 हे.वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग.सड़क विकास परियोजना लोक निर्माण विभाग बिलासपुर को प्रथम चरण स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति के अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा संदर्भित पत्र-2 के माध्यम से प्रेषित किया है। बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

S.No.	Condition	Compliance
(i)	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;	शर्त आवेदक को मान्य है एवं तदाशय का Undertaking संलग्न है। Annexure-1
(ii)	Compensatory Afforestation:	
(a)	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 7.770 ha Orange Area degraded forest land at Khasra No. 136/1 k, 155/1, 177/1 k, and 186/1 in in Bakaruma range, District Raigarh at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided;	शर्त अनुसार CA हेतु रु. 67,66,660.00 का भुगतान RTGS-SBIN423082441070 दिनांक 23.03.2023 एवं सी.ए. अंतर की राशि रु. 676668 का भुगतान RTGS-SBIN52023042846228724 दिनांक 27.04.2023 को CAMPA मद में किया गया है। चालान की प्रति संलग्न है। Annexure-2

(b)	The proposed non-forest CA land shall be transferred and mutated in favour of the State Forest Department before Stage-II clearance.	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित नारंगी वन खण्ड बांधाडोंगरी खसरा क्रमांक 136/I K, 155/1, 177/1 k, 186/1 का अधिसूचना प्रस्ताव संलग्न है। Annexure-3
(iii)	The cost of Compensatory Afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost escalation for works scheduled for subsequent years;	सर्वे एवं सीमांकन की राशि का गणना कर आवेदक संस्थान द्वारा मुनारा निर्माण हेतु राशि रु. 240000/-, सर्वे सीमांकन कार्य हेतु राशि रु. 22908/-, सफाई कार्य अनुमानित राशि रु. 50000/- वन मंडलाधिकारी के पी.डी खाते में दिनांक 20.07.2023 को जमा किया गया है। चालान की प्रति संलग्न है। Annexure-3 A
(iv)	NPV:	
(a)	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 9.304 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006, letter No. 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 and letter No. 5-3/2011- FC(Vol-1) dated 06.01.2022 in this regard;	मांग अनुसार NPV हेतु आवेदक संस्थान से राशि रु. 47,21,472.00 दिनांक 23.03.2023 को CAMPA मद में भुगतान किया गया है। चालान की प्रति संलग्न है। Annexure-4
(b)	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect;	परिवर्तित वन भूमि की NPV की राशि अतिरिक्त देय होने पर जमा किया जावेगा। आवेदक का वचन पत्र संलग्न है। Annexure-5
(v)	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/);	कैम्पा मद में जमा होने वाली समस्त राशि का भुगतान CAMPA FUND में e-portal के माध्यम से आवेदक संस्थान द्वारा जमा किया गया है। Annexure-6

(vi)	The State Government of Chhattisgarh/ Nodal Officer (FCA), Forest Department of Chhattisgarh shall ensure settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007) before issuing an order for handing over of forest land to the User Agency as per Rule- 9 (6) (b) (ii) of Forest (Conservation) Rules, 2002 dated 28.06.2022:	FRA के अंतर्गत निरंक है। कलेक्टर का प्रमाण पत्र संलग्न है। Annexure-7
(vii)	The total project affected trees are 334; comprises of 20 trees above 90 cm girth and the remaining 314 trees below 90 cm girth class. Any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department and the cost is a of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department:	शर्त के पालन में वृक्ष विदोहन/परिवहन हेतु आवेदक संस्थान द्वारा राशि रु. 179040/- वन मंडलाधिकारी के पी.डी खाते में दिनांक 20.07.2023 को जमा किया गया है। चालान की प्रति Annexure-3 A में संलग्न है। Annexure-8
(viii)	Width of the right of way (ROW) for the proposed road shall be limited to 14m.	ROW की चौड़ाई 14.00 मी. सीमित रहेगी। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। Annexure-9
(ix)	The boundary of the diverted forest land, shall be demarcated on ground at the project cost. by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number. forward and back bearing and distance from pillar to pillar:	Diverted Forest Land का सीमांकन कर 4.00 Feet के कांक्रीट पिलर से घेराबंदी किया जावेगा। इस आशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। Annexure-10
(x)	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas:	वनक्षेत्र में मार्ग पर निर्दिष्ट स्थल पर "गति नियंत्रण" सूचक बोर्ड (Speed Regulating Signage) लगाया जावेगा। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। Annexure-11
(xi)	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable;	इस परियोजना में वन भूमि व्यपवर्तन हेतु पर्यावरण स्वीकृति अपेक्षित नहीं है। भारत का राजपत्र असाधारण भाग-II खण्ड 3, उपखण्ड (II) संख्या 1067 नई दिल्ली सितम्बर 14, 2006 के बिन्दु 7 (i) में उल्लेखित विवरण के अंतर्गत नहीं है। गाईड लाईन संलग्न है। Annexure-12
(xii)	The State Forest Department shall ensure that the proposed structures provide safe passage for the smooth movement of wildlife and cattle as suggested by the Wildlife Institute of India in manual entitled "Eco-friendly Measures to Mitigate Impacts of Linear Infrastructure on Wildlife, published in 2016 and as desired that KML file of the entire alignments highlighting the location of all structures (Culverts, Box culverts, and Slab Culverts etc.) should be submitted to the IRO, Raipur along with the Stage-I compliance report;	वन विभाग के निर्देशानुसार मार्ग वन्य प्राणियों एवं मवेशियों के आसान एवं सुरक्षित आवागमन के अनुकूल बनाया जावेगा। वचन पत्र संलग्न है। KML File Alignment esa Culverts, Box culverts, Slab Culverts & Hume Pipe Culverts को Highlighting कर KML संलग्न है। Annexure-13

(xiii)	The State Forest Department shall ensure that installing necessary information boards at the said crossing point at the cost of the User agency.	मार्ग पर वन्य प्राणियों के पारपथ (Crossing) स्थलों पर आवश्यक सूचना बोर्ड लगाया जावेगा। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। Annexure-14
(xiv)	Roadside plantations on both sides of the road as per the IRC norms shall be raised by the State Forest Department from the funds provided by the User Agency. The State forest department shall prepare the plantation proposal giving preference to the native forest tree species including fruit-bearing tree species, and shall submit to the IRO, Raipur;	मार्ग पर पथ वृक्षारोपण आवेदक संस्थान द्वारा किया जावेगा। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। Annexure-15
(xv)	No labour camp shall be established on the forest land;	वनक्षेत्र में कोई मजदूरों का आवास (Labour Camp) स्थापित नहीं किया जावेगा। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। Annexure-16
(xvi)	The User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	कार्य स्थल पर मजदूरों द्वारा किसी भी प्रकार से जंगल की लकड़ी का इस्तेमाल ईंधन के रूप में नहीं किया जावेगा एवं वनक्षेत्र में कोई क्षति नहीं पहुंचायी जावेगी। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। Annexure-17
(xvii)	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;	वनक्षेत्र का परियोजना में निर्दिष्ट (Specified) क्रियाकलाप के अतिरिक्त अन्य कोई भी उपयोग नहीं किया जावेगा। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। Annexure-18
(xviii)	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government.	Lay out plan में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जावेगा। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। Annexure-19
(xix)	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work;	निर्माणाधीन सड़क के अतिरिक्त अन्य कोई भी सड़क वनक्षेत्र में निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु नहीं बनाया जावेगा। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। Annexure-20
(xx)	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less;	वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार आवेदक संस्थान कार्य करने हेतु बाध्य है। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। Annexure-21
(xxi)	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India;	आवेदक संस्थान वन संरक्षण अधिनियम (Government of India ministry of Environment, Forest & Climate Change) के शर्त एवं नियमों का पालन करेगी। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। Annexure-22

(xxii)	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018;	कोई भी प्रकार का तोड़-फोड़ वनक्षेत्र में नहीं किया जावेगा/वन संरक्षण अधिनियम (Government of India ministry of Environment, Forest & Climate Change) का पालन किया जावेगा। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। Annexure-23
(xxiii)	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;	आवेदक संस्थान समय-समय पर Ministry of Environment, Forest & Climate Change से प्राप्त वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण हेतु निर्देशों का पालन करेगी। आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। Annexure-24
(xxiv)	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	आवेदक संस्थान द्वारा प्रथम चरण पालन प्रतिवेदन e.portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड किया गया है।

उपरोक्तानुसार प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ति आवेदनकर्ता द्वारा पूर्ण कर ली गई है। कृपया प्रकरण में अंतिम चरण (औपचारिक) स्वीकृति जारी करने हेतु भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर को अग्रेषित करने का अनुरोध है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार (02 प्रति में)

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-780 / 2361

रायपुर, दिनांक 06/10/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), छत्तीसगढ़, नवा रायपुर। प्रस्तावित वन क्षेत्र में खड़े 334 वृक्षों के विदोहन हेतु प्रस्ताव में संलग्न वृक्ष विदोहन योजना अनुसार अनुशंसा की जाती है।
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
- एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर द्वारा जारी की गई प्रथम चरण की स्वीकृति दिनांक 27.02.2023 की सहपठित भारत सरकार की नवीन गाईड लाईन के पैरा 11.2 के अनुसार आवेदक के व्यय पर सीमांकन उपरांत प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अनुमोदन उपरांत एक वर्ष के लिये कार्य करने की अनुमति जारी की जाती है।
- वृक्षों के विदोहन का कार्य उत्पादन प्रभाग से विदोहन की अनुमति प्राप्त कर किया जावे एवं वन मंडलाधिकारी के पी.डी.खाते में वृक्षों के विदोहन हेतु जमा राशि के आहरण की अनुमति पृथक से भू-प्रबंध प्रभाग से प्राप्त करेंगे।
3. वनमंडलाधिकारी, धरमजयगढ़ वन मंडल, धरमजयगढ़ छत्तीसगढ़।
4. परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम, संभाग बिलासपुर जिला बिलासपुर।

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
छत्तीसगढ़